



अष्टादश

बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 20 माघ, 1947 (श०)
09 फरवरी, 2026 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 103

(1) गृह विभाग	69
(2) सामान्य प्रशासन विभाग	09
(3) वित्त विभाग	03
(4) उद्योग विभाग	14
(5) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	01
(6) गन्ना उद्योग विभाग	04
(7) सूचना प्रावैधिकी विभाग	01
(8) सिविल विमानन विभाग	02

कुल योग -- 103

कन्निरस्तान की घेराबंदी

*316. मो० सरवर आलम (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन प्रखंड के डेरामाड़ी पंचायत में बौधनागौव काटागढ़ कन्निरस्तान में घेराबंदी नहीं है, हाँ, तो सरकार उक्त कन्निरस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी का निर्माण

*317. श्री अमरेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत गोह प्रखंड के अमारी पंचायत के महरीपुर ग्राम में अस्थायी पुलिस चौकी स्थापित है तथा यह एक अति संवेदनशील उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पुलिस भवन का निर्माण करकर स्थायी चौकी स्थापित करने और जवानों के रहने की व्यवस्था करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिथि गृह का निर्माण

*318. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत तरैया प्रखंड जो जिला मुख्यालय से 50 किलो मीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को उठरने के लिए अतिथि गृह नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सारण तटबंध को बरसात के समय सुरक्षा एवं अन्य आपदा हेतु बाहर से अपने जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों के दौर के समय उठरने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त क्षेत्रों में अतिथि गृह बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*319. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत जाले एवं सिंहवाड़ा थाना का भवन बहुत पुराना और जर्जर हो चुका है तथा दोनों थाना में पदाधिकारी एवं थाना में पदस्थापन कर्मों के लिए आवासन हेतु भवन भी जर्जर हो गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त थाना का भवन एवं पदाधिकारी एवं कर्मों के आवासन हेतु मुख्यमंत्री सचिवालय के संयुक्त सचिव के द्वारा ज्ञापांक 5540312, दिनांक 24 जनवरी, 2025 को पत्र के द्वारा अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग को कृत कार्रवाई करने हेतु लिखा गया है, लेकिन आजतक कार्रवाई नहीं की गई है जबकि भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों थाना कार्यालय तथा पदाधिकारी एवं कर्मियों के आवासन हेतु भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उपकारा का निर्माण

*320. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-231 टिकारी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गयाजी जिलान्तर्गत वर्ष 1994 से प्रखंड टिकारी को अनुमंडल का दर्जा प्राप्त होने के 32 वर्षों के उपरान्त भी अभी तक यहाँ पर अनुमंडलीय कारागार का निर्माण नहीं रहने से सजा प्राप्त/विचाराधीन कैदियों को गयाजी सेंट्रल कारागार या शेरघाटी उपकारा में स्थानांतरित किया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक टिकारी अनुमंडल में एक उपकारा का निर्माण करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुमंडल का निर्माण

*321. श्री शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-97 पारू)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला का पश्चिमी क्षेत्र जिसमें सरैया, पारू और साहेबगंज प्रखंड शामिल हैं, जो जिला मुख्यालय से लगभग 40 से 60 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है और उक्त तीनों प्रखंडों की सम्मिलित आबादी 15 लाख से अधिक है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरैया में पहले से ही पुलिस अनुमंडल (Dy. S. P.) कार्यालय सुचारू रूप से कार्यरत है, जो इसे सिविल अनुमंडल बनाने का पर्याप्त आधार है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सरैया, पारू और साहेबगंज को मिलाकर 'सरैया' को विधिवत अनुमंडल (Sub-Division) बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*322. श्री मंजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत बरौली प्रखंड के माधोपुर थाना का अपना भवन नहीं है, जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में माधोपुर थाना भवन निर्माण हेतु पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा निविदा प्रकाशित की गई थी, लेकिन आज तक थाना भवन निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त थाना के भवन का निर्माण कराने का कब तक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुमंडल का निर्माण

*323. मोहम्मद मुर्शिद आलम (क्षेत्र संख्या-50 जोकीहाट)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला में अररिया सदर तथा फारबिसगंज अनुमंडल है एवं उक्त अनुमंडलों में जनसंख्या एवं कार्यभार अधिक होने के कारण प्रशासनिक कार्यों में काफी कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के जोकीहाट, पलासी, सिकटी, कुर्साकांटा प्रखंडों को मिलाकर जोकीहाट को अनुमंडल बनाने की सभी अर्हताएँ मौजूद है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार, खंड (2) में अंकित प्रखंडों को मिलाकर जोकीहाट को अनुमंडल कब तक बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कन्निरस्तान की घेराबंदी

*324. डॉ० प्रकाश चंद्र (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के ओबरा प्रखंड अन्तर्गत बभनडीहा पंचायत के कोराईपुर ग्राम में एवं बेल पंचायत के बेलगाँव से उत्तर कन्निरस्तान अवस्थित है, जिसका घेराबंदी का कार्य नहीं कराया गया है, जिसके कारण असामाजिक तत्वों एवं अवारा पशुओं का आना-जाना लगा रहता है, जिससे कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित स्थानों पर कन्निरस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना

*325. श्री राम सिंह (क्षेत्र संख्या-4 बगहा)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत बगहा अनुमंडल के रतवल-धनहा पुल के समीप जिला पदाधिकारी पश्चिम चम्पारण द्वारा 1719 एकड़ जमीन मेगा-टेक्सटाइल पार्क के निर्माण हेतु चिह्नित कर बिहार सरकार को समर्पित किया गया था, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थान को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

धाना भवन का पुनःनिर्माण

*326. श्रीमती बेबी कुमारी (क्षेत्र संख्या-91 बोचहां (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के बोचहां विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत अहियापुर धाना का भवन बिल्कुल जर्जर है, क्या सरकार अहियापुर धाना भवन का पुनर्निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी एवं बैरक का निर्माण

*327. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के झंझारपुर अनुमंडल मुख्यालय स्थित झंझारपुर धाना परिसर के लम्बित चहारदीवारी एवं बैरक निर्माण हेतु स्वीकृतादेश संख्या 14310, दिनांक 6 नवम्बर, 2023 द्वारा कुल प्राक्कलित राशि 107.746 (एक करोड़ 7 लाख 74 हजार 600) रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है, जिसे महानिदेशक-सह-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना को उपलब्ध करा दिया है परन्तु कार्यारंभ नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार झंझारपुर अनुमंडल मुख्यालय परिसर स्थित धाना की चहारदीवारी एवं बैरक निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य उप-केन्द्र का निर्माण

*328. श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लु गुप्ता (क्षेत्र संख्या-11 सुगौली)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत रामगढ़वा प्रखंड में PMJVK (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम) अन्तर्गत प्रखण्ड स्तरीय 15-सूत्री कार्यान्वयन समिति से पारित योजना ग्राम पंचायत मंगलपुर पटनी के वार्ड सं०-11 में स्वास्थ्य उप-केन्द्र का निर्माण कार्य अभी तक नहीं हो पाया है, जबकि PMJVK योजना मद में राशि उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्वास्थ्य उप-केन्द्र का निर्माण कार्य कबतक कराने की विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

फायर स्टेशन स्थापित कराना

*329. सुश्री मैथिली ठाकुर (क्षेत्र संख्या-81 अलीनगर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत अलीनगर विधान सभा क्षेत्र में क्रमशः अलीनगर, तारडीह एवं घनश्यामपुर प्रखण्डों में फायर स्टेशन स्थापित नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्डों में फायर स्टेशन के अभाव में आगजनी एवं अन्य घटित घटनाओं में अलीनगर (घनश्यामपुर) से लगभग 23-25 किलो मीटर की दूरी पर बेहरा में फायर स्टेशन स्थापित होने के कारण राहत कार्य समय पर नहीं मिल पाता है, जिस कारण आये दिन मवेशियों के साथ-साथ ग्रामीणों के जान पर भी हमेशा गंभीर खतरा बना रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों में फायर स्टेशन स्थापित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*330. श्री मिथिलेश तिवारी (क्षेत्र संख्या-99 बैकुण्ठपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 1990 से 2015 के बीच मिशनरी (धार्मिक यात्रा) वीजा पर गोपालगंज परिभ्रमण हेतु 173 नागरिक पाकिस्तान, रूस व उज़्बेकिस्तान से आये थे ;

(2) क्या यह बात सही है कि तत्कालीन गोपालगंज एस0 पी0 के पत्रांक 396, दिनांक 28 नवम्बर, 2015 के द्वारा कराची व रावलपिंडी से 167, उज़्बेकिस्तान से 5 व रूस से 1 नागरिक की धार्मिक यात्रा के अंतर्गत गोपालगंज आने की पुष्टि हुई है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त अवधि में गोपालगंज धार्मिक यात्रा पर पहुंचे विदेशी नागरिकों के स्वदेश वापस जाने की सूचना जिला प्रशासन के पास उपलब्ध नहीं है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी उच्चस्तरीय जांच कराकर अवैध विदेशी नागरिकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अग्निशामक वाहन की व्यवस्था

*331. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अंतर्गत अनगढ़ धाना में अग्निशामक वाहन उपलब्ध नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त धाना में अग्निशामक वाहन नहीं रहने के कारण आगजनों के समय अन्य नजदीकी धाना से वाहन आग बुझाने हेतु बुलाया जाता है, तबतक लोगों का घर-माल जलकर राख हो जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अनगढ़ धाना में अग्निशामक वाहन कबतक उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जमीन बिक्री पर रोक लगाना

*332. श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला के बारा चकिया में चीनी मिल बंद है और चकिया चीनी की जमीन धड़ल्ले से बिक्री की जा रही है, यदि हाँ, तो सरकार बारा चकिया में चीनी मिल की जमीन बिक्री पर रोक लगाने एवं चीनी मिल का पुनः कबतक चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*333. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ विधान सभा अंतर्गत संत कवरिया कब्रिस्तान में अबतक चहारदीवारी निर्माण नहीं होने से कब्रिस्तान की भूमि पर अतिक्रमण एवं सामाजिक असुविधा की आशंका बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की चहारदीवारी का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करना

*334. श्रीमती स्नेहलता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सासाराम विधान सभा के रामढीहरा (चूरेसर मौजा) में सीमेंट निर्माण के लिए आवश्यक चूना पत्थर का विशाल भंडार उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर एक सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*335. डॉ० कुमार पुष्पंजय (क्षेत्र संख्या-170 बरबीषा)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम छमाही में वार्षिक साख योजना (ए0सी0पी0) के तहत कृषि क्षेत्र के लिये निर्धारित लक्ष्य 01,12,000 करोड़ की तुलना में मात्र 31,120 करोड़ रुपये ही किसानों को ऋण वितरित किये गये हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि एस0एल0बी0सी0 की निगरानी और नियंत्रण के बावजूद राज्य में बैंकों द्वारा खेती और किसानों की उपेक्षा की जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कृषि क्षेत्र की उपेक्षा करने वाले बैंकों पर कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ओ० पी० का गठन

*336. श्री कृष्ण कुमार ऋषि (क्षेत्र संख्या-59 बनमनखी (अ० जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत बनमनखी अनुमंडल से लगभग 10 किलो मीटर की दूरी पर अवस्थित ग्राम पंचायत हरिमुढ़ी एवं ग्राम पंचायत कचहरी बलुआ जो अररिया जिला के सीमा के पास है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण उक्त स्थानों पर असामाजिक तत्वों के द्वारा आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर दूसरे जिला में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे स्थानीय लोग दहशत में रहते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिये हरिमुढ़ी एवं कचहरी बलुआ में थाना या ओ० पी० का गठन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आर्म्स लाइसेंस देना

*337. श्री आलोक कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-210 दिनारा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा संपूर्ण बिहार के त्रिस्तरीय पंचायत को मुखिया को उनके जान-माल की सुरक्षा देखते हुए शस्त्र लाइसेंस देने के लिए सभी जिला पदाधिकारियों को एक वर्ष पूर्व निर्देश किए थे, यदि हाँ, तो सरकार राज्य के पंचायत मुखिया को आर्म्स लाइसेंस कबतक मुहैया कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रोजगार की व्यवस्था

*338. श्री रोहित पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला स्थित को-ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स (स्थापना 1982, उत्पादन 1986) को कुप्रबंधन, आर्थिक अनियमितताओं एवं लगातार घाटे के कारण बंद कर दिया गया, जिससे सैकड़ों मजदूर एवं कर्मचारी बेरोजगार हो गए तथा मिल बंद होने के वर्षों बाद भी बड़ी संख्या में मजदूरों/कर्मचारियों को आज तक उनका बकाया वेतन, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी एवं अन्य वैधानिक देयकों का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण मजदूर एवं उनके परिवार आज भी गंभीर आर्थिक एवं सामाजिक संकट का सामना कर रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जिले के प्रभावित मजदूरों को उनका समुचित बकाया/मुआवजा देने एवं पुनर्वास अथवा वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुमंडल कार्यालय का स्थानांतरण

*339. श्री आदित्य कुमार (क्षेत्र संख्या-92 सकरा (अ० जा०))--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला का सकरा, मुरौल, बोचर्हा, कटरा प्रखंड/अंचल मुजफ्फरपुर (पूर्वी) अनुमंडल में शामिल है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंडों एवं अंचलों के लोगों को मुजफ्फरपुर स्थित अनुमंडल कार्यालय (पूर्वी) आने में 35-40 कि०मी० की दूरी तय करनी पड़ती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अत्यधिक दूरी के मद्देनजर मुजफ्फरपुर (पूर्वी) अनुमंडल कार्यालय का मुख्यालय सकरा या मुरौल में स्थानांतरित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

धाना की स्थापना

*340. श्री विजय सिंह (क्षेत्र संख्या-68 बरारी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत समेली प्रखंड-सह-अंचल के लोगों को अन्य प्रखंड में स्थापित धानों में अपने कार्य हेतु फलका, पोठिया, कुसैला धाना में जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार समेली प्रखंड मुख्यालय में समेली धाना स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

द्वितीय पैनल जारी करने के संबंध

*341. श्री उदय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष-2025 में बेल्ट्रॉन के द्वारा डाटा इंटी ऑपरेटर का परीक्षा लिया गया था, जिसमें हिन्दी टंकण में करीब दस हजार अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुये थे ;

(2) क्या यह बात सही है कि बेल्ट्रॉन के द्वारा अधिसूचना में रिक्तियों का प्रकाशन नहीं रहने के बावजूद दस हजार अभ्यर्थियों में से मात्र पाँच हजार अभ्यर्थियों का ही पैनल जारी किया गया है, शेष अन्य पाँच हजार उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को छोड़ दिया गया है, जिस कारण शेष उत्तीर्ण अभ्यर्थी का भविष्य अधर में है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शेष उत्तीर्ण डाटा ऑपरेटरों का द्वितीय पैनल जारी करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आवासन की संख्या को बढ़ाने

*342. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत पर्यवेक्षण गृह, बाल संरक्षण इकाई संचालित किया जा रहा है, जिसमें किशोरों के आवासन की क्षमता 50 बेड है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस पर्यवेक्षण गृह में किशोर न्याय परिषद्, रोहतास, कैमूर एवं अन्य न्यायालयों से आदेशित विधि विवादित किशोर भी आवासित किये जाते हैं जिससे उक्त गृह की क्षमता काफी कम है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पर्यवेक्षण गृह में आवासन की संख्या 80 से 100 बेड तक बढ़ाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

धाना भवन का निर्माण

*343. श्री विष्णु देव पासवान (क्षेत्र संख्या-107 दरौली (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत दरौली विधान सभा के दरौली प्रखंड धाना परिसर में पुराना भवन जर्जर स्थिति में है, जो कभी भी ध्वस्त हो सकता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पुराने धाना भवन के स्थान पर मॉडर्न धाना भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कन्निरस्तान की घेराबंदी

*344. श्री रणविजय साह (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखंड अन्तर्गत मानपुरा वार्ड नं०-05 में खाता-87, खेसरा नं०-562, रकबा-105 डिसमिल में कन्निरस्तान अवस्थित है तथा रहिमाबाद ठगवा चौक के खाता नं०-523 (पुराना) खेसरा नं०-2411 (पुराना), रकबा-54 डिसमिल में भी कन्निरस्तान अवस्थित है, जिसकी घेराबंदी पूर्व में कराया गया था, जो जर्जर होकर टूट गया है जिसके कारण असामाजिक तत्वों एवं आवारा पशुओं से जनता को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कन्निरस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

टी०ओ०पी० का निर्माण

*345. श्री अरूण कुमार (क्षेत्र संख्या-180 बख्तियारपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत बख्तियारपुर थाना के टाल क्षेत्र में धौध पंचायत एवं दियारा क्षेत्र काला दियारा पंचायत में पुलिस टी०ओ०पी० नहीं रहने से ग्रामीणों में भय का माहौल है, यदि हाँ, तो सरकार बख्तियारपुर थाना के टाल क्षेत्र में धौध पंचायत एवं दियारा क्षेत्र काला दियारा पंचायत में पुलिस टी०ओ०पी० (Top out Post) का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कन्निरस्तान की घेराबंदी

*346. श्री मनोज विश्वास (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के फारबिसगंज नगर परिषद् क्षेत्र अंतर्गत आई०टी०आई० के समीप स्थित कन्निरस्तान की अबतक घेराबंदी (चहारदीवारी) नहीं की गई है, जिससे उक्त कन्निरस्तान की भूमि पर अतिक्रमण, असामाजिक गतिविधियाँ एवं अव्यवस्था की स्थिति बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार फारबिसगंज नगर परिषद् क्षेत्र अंतर्गत आई०टी०आई० के पास स्थित कन्निरस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*347. श्री श्याम रजक (क्षेत्र संख्या-188 फूलवारी (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पुनपुन प्रखंड के ग्राम पंचायत केवड़ा में केवड़ा पुलिस ओ०पी० है, जिसका अपना भवन नहीं है और ओ०पी० कृषि भवन में चल रहा है, उक्त ओ०पी० के नाम पर अपना जमीन भी उपलब्ध है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पुलिस ओ०पी० मेन रोड से काफी अंदर पड़ता है, जिससे पुलिस घटनास्थल पर ससमय नहीं पहुँच पाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पुलिस ओ०पी० के लिये उपलब्ध भूमि पर अपना भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थायी पुलिस चौकी का निर्माण

*348. श्री रजनीश कुमार (क्षेत्र संख्या-143 तेघडा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत सिमरिया धाम में कार्तिक माह में राजकीय कल्पवास मेला के साथ-साथ पूरे साल भर गंगा स्नान, मुंडन एवं अन्य सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम के लिये हजारों लोग प्रतिदिन आते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सिमरिया धाम में स्थायी पुलिस चौकी नहीं रहने के कारण आने-जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ बराबर छिनतई की घटना होती रहती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सिमरिया धाम में स्थायी पुलिस चौकी का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अभियुक्त की गिरफ्तारी

*349. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के नवगछिया पुलिस जिलान्तर्गत भवानीपुर धाना क्षेत्र के नगरपाड़ा ग्राम निवासी विवेका सिंह उर्फ विक्की सिंह की निर्मम हत्या 25 अक्टूबर, 2025 को कर दी गई थी, जो भवानीपुर धाना कांड संख्या-228/25 दर्ज है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कांड के 09 मुख्य अभियुक्तों नामजद में से 05 की गिरफ्तारी अभीतक नहीं की जा सकी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त धाना कांड संख्या-228/25 में दर्ज मुख्य अभियुक्तों में से 05 अभियुक्त जो फरार है उनकी गिरफ्तारी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

धाना भवन का निर्माण

*350. श्री शंभानंद मुकेश (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत सन्हौला प्रखंड के सन्हौला धाना वर्तमान में आधुनिक सुविधाओं से विहीन पुराने और जर्जर भवन में चल रही है, यदि हाँ, तो सरकार पुलिस बल की कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु सन्हौला में आधुनिक सुविधाओं से युक्त नये धाना भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

धाना का निर्माण

*351. श्री अतिरेक कुमार (क्षेत्र संख्या-78 कुशेश्वरस्थान (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के कुशेश्वरस्थान प्रखंड के सतीघाट का वर्तमान धाना उक्त स्थल से काफी दूर है, जिसके कारण आये दिन अप्रिय घटनाएँ घटित होती रहती है और कानून व्यवस्था की समस्या रहती है, यदि हाँ, तो सरकार सतीघाट में नया धाना का निर्माण कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ० पी० थाना का निर्माण

*352. श्री देवेशकान्त सिंह (क्षेत्र संख्या-111 गोरेयाकोठी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सिवान जिला के लकड़ी नवीगंज प्रखंड अंतर्गत छतीसी बाजार से जामो बाजार थाना की दूरी 10 कि०मी० है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सारण गंडक नहर एवं गोपालगंज जिला का बोर्डर नजदीक होने के कारण अपराधियों के लिए अपराध करने एवं घटना को अंजाम देने का सेफ जोन बन गया है, जिससे आमजनों में भय का माहौल बना रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छतीसी बाजार पर ओपी थाना खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक नहीं, तो क्यों ?

कन्निरिस्तान की घेराबंदी

*353. श्री चेतन आनंद (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के बारुण नगर पंचायत में कन्निरिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार बारुण नगर पंचायत में कन्निरिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुमंडल का दर्जा देना

*354. श्री रितुराज कुमार (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला अंतर्गत घोसी वर्तमान में केवल पुलिस अनुमंडल के रूप में कार्यरत है, जबकि वहाँ की जनसंख्या, क्षेत्रफल एवं प्रशासनिक कार्यभार पूर्ण अनुमंडल के अनुरूप है, घोसी क्षेत्र के नागरिकों को राजस्व, भूमि सुधार, आपूर्ति एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों हेतु दूरस्थ अनुमंडल मुख्यालयों पर निर्भर रहना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार घोसी को पूर्ण अनुमंडल का दर्जा देने हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*355. श्री गौतम कृष्ण (क्षेत्र संख्या-77 महिषी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत महिषी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत तेलवा पूर्वी पंचायत स्थित लिलजा कन्निरिस्तान की अबतक चहारदीवारी का निर्माण नहीं कराया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कन्निरिस्तान की चहारदीवारी का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कन्निरिस्तान की घेराबंदी

*356. मो० तौसीफ आलम (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत दिघलबैंक प्रखंड के धनगढ़ा पंचायत के धनगढ़ा हाट के निकट स्थित कन्निरिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण आवारा पशु एवं अन्य का चारागाह बना हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कन्निरिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चेक पोस्ट का निर्माण

*357. श्री सतीश कुमार सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत रामगढ़ प्रखंड के कलानी चौक दुर्गावती प्रखंड के कर्मनाशा बाजार में पुलिस चौकी नहीं रहने के कारण आस-पास 15 किलो मीटर के अंदर आये दिन दुर्घटना घटती रहती है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित स्थान पर पुलिस चेक पोस्ट कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सीमेंट कारखाना का संचालन

*358. श्रीमती अनीता (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के वारिसलीगंज विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बन रहे अडानी सीमेंट कारखाना वारिसलीगंज के लिये बिजली के बड़े-बड़े टावर ग्राम-चैनपुरा एवं लीलाविहा के गरीब किसानों के खेतों में गाड़ा जा रहा है, जिससे उपजाऊ कृषि योग्य भूमि में खेती करने एवं घर बनाना कठिन हो गया है, जबकि उक्त सीमेंट कारखाना का संचालन सोलर प्लांट लगाकर करवाने से उक्त समस्या नहीं होगी, यदि हाँ, तो क्या सरकार सोलर उर्जा प्लांट के माध्यम से उक्त सीमेंट कारखाना को कबतक संचालित करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*359. श्री भाई बिरेंद्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालंदा जिला के इस्लामपुर प्रखंड में ग्राम-आत्मा, सिद्धारी लोदीपुर, पचलोवा सहित 13 ग्राम मौजा का कृषि योग्य भूमि उद्योग लगाने के नाम पर अधिग्रहण किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त ग्रामों के फुलवन्ती देवी, जगदीश यादव, सुरज कुमार सहित 100 (सौ) से अधिक किसानों द्वारा खेतीहर जमीन का अधिग्रहण किए जाने से भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो जायेगी ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त किसानों को प्रस्तावित अधिग्रहित भू-भाग के बदले निर्धारित राशि का भुगतान शीघ्र कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

यातायात पुलिस की व्यवस्था

*360. मो० आबिदुर रहमान (क्षेत्र संख्या-49 अररिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के अररिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत चौदनी चौक, बस स्टैण्ड, जीरो माईल एवं अन्य महत्वपूर्ण चौक-चौराहे पर स्थायी रूप से यातायात पुलिस नहीं रहने के कारण जाम की समस्या बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थानों पर स्थायी यातायात पुलिस की व्यवस्था कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

हवाई अड्डा का विस्तार

*361. श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-75 सहरसा)--क्या मंत्री, सिविल विमानन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा सहरसा हवाई अड्डा को विस्तार देकर चालू करने के लिए वर्ष 2025 में ही मंजूरी दे दी गई है, परंतु इस दिशा में अभी तक कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, जिससे सहरसा सहित कोशी प्रमंडल के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त हवाई अड्डा को विस्तार कर चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चीनी मिल चालू कराना

*362. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के प्रसिद्ध सेन्दल सुगर मिल भारी घाटे, पुरानी मशीनों और तकनीकी अभाव के कारण वर्ष 1997-98 में पूरी तरह बंद हो गई, जिसके कारण कई लोग बेरोजगार हो गये हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार ने बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने और नई मिलें शुरू करने की मंजूरी नवम्बर, 2025 को दी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त बंद पड़े चीनी मिल को पुनः चालू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शाखा खोलना

*363. श्री बशिष्ठ सिंह (क्षेत्र संख्या-209 करगहर)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत प्रखंड मुख्यालय करगहर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शाखा नहीं रहने के कारण ग्रामीण जनता को बैंक संबंधित कार्य करने में लम्बा लाइन में खड़ा होना पड़ता है तथा ससमय कार्य भी नहीं हो पाता है, यदि हाँ, तो सरकार प्रखंड करगहर मुख्यालय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शाखा कब तक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बीमा संबंधी सेवा उपलब्ध कराना

*364. श्री राजेश कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-137 मोहिउद्दीननगर)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार पुलिस सेवा के अधिकारियों को स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा संबंधी सेवा प्रदान की जा रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अधिकारियों को तरह बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा संबंधी सेवा कब तक प्रदान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*365. श्री सिद्धार्थ सौरव (क्षेत्र संख्या-19 बिक्रम)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत बिक्रम विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत नौबतपुर प्रखण्ड स्थित पंचायत, दरियापुर ग्राम-टरवाँ में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से स्थानीय लोगों द्वारा कब्रिस्तान की भूमि का अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त वर्णित कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की चहारदीवारी का निर्माण

*366. मो० कमरुल होदा (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला किशनगंज के प्रखंड पोठिया, अंतर्गत मौजा धुमनियाँ, खाता नं० 135 एवं 136 खेसरा नं० क्रमशः 105,108 ग्राम-धुमनियाँ में अवस्थित कब्रिस्तान की चहारदीवारी के परिमाण की कुल लंबाई 1475 फिट है जिसमें से 350 फिट चहारदीवारी का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा 1125 फीट का निर्माण शेष रह गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान के शेष रह गये 1125 फीट कब्रिस्तान की चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*367. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनहारी (अ० ज० जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखण्ड अन्तर्गत मनीष कुमार, अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण, अवर प्रमण्डल अमदाबाद के प्रतिवेदन के आधार पर मो० हुसैन, जियामारी, डॉ० अंजुम, मायामारी, भोला, मुन्ना आलाम, राजाराम चौधरी, कृष्णा चौधरी, चारो बोगलागढ़ के विरुद्ध अमदाबाद थाना अभियोग संख्या 242/2022, दिनांक 11 अक्टूबर, 2022 धारा 188/427/431/332/34 भा०द०वि० के अन्तर्गत प्राथमिकी अंकित की गयी है, लेकिन कब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

खादी ग्रामोद्योग भवन पुनर्जीवित करना

*368. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जहाँ एक ओर राज्य सरकार के द्वारा खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर ग्रामोद्योग के विकास और पुनरुत्थान वित्तीय सहायता प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है, वह 1952 में दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड अंतर्गत ग्राम-हाजीपुर में स्थापित खादी ग्रामोद्योग भवन में सन्नाटा पसरा हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि एक बीघा नौ कट्टा में लाखों रुपये की लागत से बने उक्त खादी ग्रामोद्योग भवन की स्थिति काफी दयनीय है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कुटीर एवं खादी ग्रामोद्योग भवन हाजीपुर केवटी को पुनर्जीवित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना

*369. श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र संख्या-207 चेनारी (अ० जा०))--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत चेनारी प्रखंड में बड़े पैमाने पर टमाटर की खेती एवं बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कि चेनारी प्रखंड में टोमैटो सॉस की खाद्य प्रसंस्करण इकाई के नहीं होने के कारण किसानों को टमाटर का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार चेनारी में टोमैटो सॉस की खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस थाना का निर्माण

*370. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला अन्तर्गत कल्याणपुर धाना क्षेत्र के कैधवलिया में निर्माणाधीन दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना दिनांक 17 जनवरी, 2026 को हुई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि शिवलिंग एवं निर्माणाधीन मंदिर के दर्शन हेतु भारी संख्या में प्रतिदिन वहाँ श्रद्धालु उपस्थित हो रहे हैं जिससे यातायात एवं विधि व्यवस्था को व्यवस्थित करना एक समस्या बनी हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त स्थान पर पुलिस थाना स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

धाना को शामिल करना

*371. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत वीरपुर प्रखण्ड का नौला ग्राम पंचायत का प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय, वीरपुर है किन्तु धाना भगवानपुर है जो दूसरे विधान सभा क्षेत्र (बछवाड़ा) में पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस विसंगति को दूर करने हेतु जिला पदाधिकारी, बेगूसराय ने अपने पत्रांक 1551/गो०, दिनांक 23 मई, 2023 के द्वारा प्रशासी पदवर्ग समिति के मापदण्डों के अनुरूप स्पष्ट अनुरांसा आयुक्त (मुंगेर) के माध्यम से पुलिस मुख्यालय को भेज दी है, परन्तु ढाई वर्ष बीत जाने के बाद भी मुख्यालय स्तर पर फाइल लंबित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जिला प्रशासन की अनुशंसा को देखते हुए नौला पंचायत को यथाशीघ्र भगवानपुर थाना से पृथक कर वीरपुर थाना में शामिल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कन्निरिस्तान की घेराबंदी

*372. श्री अविनाश मंगलम (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज (अ० जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के भरगामा प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत नया भरगामा वार्ड नं० 12 में कन्निरिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है, जबकि उक्त स्थान पर कन्निरिस्तान की घेराबंदी करने के लिए बार-बार सरकार से मांग की जाती है, लेकिन आजतक कन्निरिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कन्निरिस्तान की घेराबंदी कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चीनी मिल को चालू कराना

*373. श्रीमती संगीता देवी (क्षेत्र संख्या 65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि सीमांचल क्षेत्र (कटिहार, पूर्णियाँ, अररिया एवं किशनगंज जिलों) में वर्तमान में कोई भी चीनी मिल कार्यरत नहीं है, जिसके कारण गन्ना उत्पादक किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बनमनखी स्थित बंद पड़ी चीनी मिल वर्तमान में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA) के अधीन है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार द्वारा उक्त बनमनखी चीनी मिल को गन्ना विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनः चालू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कठार पंचायत का हस्तान्तरण

*374. श्री शम्भू नाथ यादव (क्षेत्र संख्या-199 ब्रह्मपुर)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के सेमरी प्रखण्ड के कठार पंचायत प्रखंड मुख्यालय से 20 कि०मी० दूरी अवस्थित है जबकि कठार पंचायत से चक्की प्रखण्ड की दूरी 04 कि०मी० है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कठार पंचायत से सेमरी प्रखंड मुख्यालय जाने में पंचायत के ग्रामीण जनता को काफी कठिनाई होती है तथा वहाँ के लोगों का मुख्य बाजार भी चक्की प्रखण्ड है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कठार पंचायत को सेमरी प्रखंड से हटाकर चक्की प्रखंड में करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*375. श्री विनय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला अंतर्गत दिघवारा प्रखण्ड के दिघवारा थाना का थाना भवन जर्जर स्थिति में है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त थाना का नया भवन कबतक बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अभियुक्तों की गिरफ्तारी

*376. श्री आलोक कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-134 उजियारपुर)--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के घोघरडीहा थाना काण्ड संख्या-164/2024, दिनांक 04 नवम्बर, 2024 में गंभीर धाराओं में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से आदेश निर्गत होने के बावजूद इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कांड के अभियुक्तों को अबतक गिरफ्तार नहीं करने का क्या औचित्य है ?

उद्योग लगाना

*377. श्रीमती निशा सिंह (क्षेत्र संख्या-66 प्राणपुर)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अंतर्गत प्राणपुर विधान सभा क्षेत्र के आजमनगर एवं प्राणपुर प्रखंड में लघु एवं वृहद उद्योगों की संख्या नगण्य है जबकि श्रमिक बहुल्यता वाले इस क्षेत्र के अधिकांश श्रमजीवी वर्ग अपने जीविकोपार्जन के लिए दूसरे प्रदेशों पर निर्भर है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक निवेशकों के माध्यम से प्राणपुर में लघु एवं वृहद उद्योग लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नया थाना बनाना

*378. श्री रूहेल रंजन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत इस्लामपुर प्रखंड में वर्तमान में इस्लामपुर थाना एवं खुदागंज थाना कार्यरत है, जो प्रखंड के एक ही भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड की लगभग 2,75,000 की जनसंख्या एवं विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र के अनुपात में मात्र दो पुलिस थाने होने के कारण दूरवर्ती क्षेत्रों में आपात स्थिति के समय पुलिस की त्वरित पहुँच संभव नहीं हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस्लामपुर के दक्षिणी भाग स्थित मोना बाजार तथा पूर्वी भाग स्थित जैतीपुर में नए पुलिस थाना स्थापित करने पर विचार करती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रखंड-सह-अंचल बनाना

*379. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-05 लौरिया)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत साठी को प्रखंड-सह-अंचल का दर्जा नहीं मिला है, जबकि साठी को प्रखंड-सह-अंचल बनाने के लिए पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध है ;

(2) क्या यह बात सही है कि साठी सिंकरहना नदी से प्रभावित क्षेत्र है तथा लौरिया प्रखंड कार्यालय से साठी की दूरी अत्यधिक होने से वहां का स-समय अंचल का कार्य नहीं हो पाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार साठी को प्रखंड-सह-अंचल बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

धाना की स्थापना

*380. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत कल्याणपुर प्रखंड के राजपुर पंचायत के बहुआरा (कैथवलिया) में बिराट रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है, जहाँ सुरक्षा की व्यवस्था आवश्यक है, यदि हाँ, तो सरकार बिराट रामायण मंदिर परिसर में एक धाना की स्थापना कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भूमिगत जेपी सेनानियों का पेंशन

*381. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुए संपूर्ण क्रांति आंदोलन में शामिल उन लोगों को जिन्हें कारावास हुआ था, जेपी सम्मान योजना के तहत पेंशन देने का प्रावधान किया गया है, लेकिन उसी आंदोलन के भूमिगत जेपी सेनानियों, जिन्होंने संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, के लिए किसी प्रकार के पेंशन का प्रावधान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार भूमिगत जेपी सेनानियों को भी पेंशन देने हेतु प्रावधान कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी स्थापित करना

*382. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत किशनपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत बौराहा में बौराहा सिमराहा के बीच बी०ओ०पी०/पुलिस चौकी स्थापित नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बौराहा-सिमराहा के बीच कोशी नदी के किनारे बी०ओ०पी०/पुलिस चौकी नहीं होने से अक्सर चोरी, डकैती एवं हत्या की वारदात जैसी घटनाएँ घटित होती रहती है तथा किसी भी प्रकार की वारदात एवं कांड के संदर्भ में 10 कि०मी० दूर किशनपुर थाना जाना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बौराहा घाट और सिमराहा घाट के बीच बी०ओ०पी० स्थापित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक पार्क का निर्माण

*383. मो० सरवर आलम (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला अंतर्गत कोचाधामन प्रखंड में मक्का और आलू का भारी उत्पादन होता है, लेकिन उचित प्रसंस्करण की व्यवस्था न होने से किसानों को उनकी ऊपंज

का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में कृषि आधारित औद्योगिक पार्क या फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करते हुए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत इस क्षेत्र में निजी निवेशकों को विशेष सब्सिडी या सुवधाएं देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*384. श्री अमरेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

- (1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत गोह प्रखण्ड अत्यंत ही संवेदनशील क्षेत्र है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि गोह थाना का भवन जर्जर हो जाने और पदाधिकारियों के आवास का भवन नहीं होने के कारण पदाधिकारियों एवं आम जनता को काफी कठिनाई होती है ;
- (3) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2016-17 में उपरोक्त थाने के भवन निर्माण हेतु नींव दिया गया था लेकिन आजतक भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है ;
- (4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक गोह थाने का भवन, आगंतुक कक्ष एवं पदाधिकारियों का आवास निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*385. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत पानापुर का चहारदीवारी नहीं रहने से वहाँ पर पदस्थापित पुलिस कर्मियों को प्रशासनिक कार्यों में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त थाना का चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थायी पुलिस पिकेट का निर्माण

*386. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

- (1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा थाना एवं जाले थाना के बीच की दूरी 24 KM तथा सिंहवाड़ा थाना से कमतौल थाना के बीच की दूरी 22 KM है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के द्वारा ज्ञापांक 1058, दिनांक 12 मई, 2022 को प्रचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, दरभंगा को निर्देशित किया गया था कि जाले प्रखण्ड के कदम चौक ब्रह्मपुर में स्थायी पुलिस पिकेट हेतु पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति अविलम्ब किया जाये ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जाले प्रखण्ड के कदम चौक ब्रह्मपुर में स्थायी पुलिस पिकेट खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खोलना

*387. श्री मोहम्मद मुश्रीद आलम (क्षेत्र संख्या-50 जोकीहाट)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलांतर्गत जोकीहाट प्रखंड के चिरह ग्राम पंचायत के उदाहाट बाजार में तथा चैनपुर ग्राम पंचायत के मसूरिया बाजार में बैंक की शाखा नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बाजारों के व्यापारियों तथा निकटवर्ती आबादी को बैंकिंग कार्यों हेतु 20-25 कि०मी० दूरी तय कर जोकीहाट जाना पड़ता है, जबकि उक्त बाजारों में नये बैंक शाखा खोलने हेतु अर्हताओं को पूरी करता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त बाजार में राष्ट्रीय बैंक शाखा खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*388. डॉ० प्रकाश चंद्र (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के ओबरा प्रखंड अन्तर्गत भरुब पंचायत के ग्राम गोड़तार टोला तकिया एवं करसावाँ पंचायत के करसावाँ मस्जिद के पास कब्रिस्तान अवस्थित है जिसका घेराबंदी का कार्य नहीं कराया गया है, फलस्वरूप खुला में रहने के कारण असामाजिक तत्वों एवं आवारा पशुओं का आना-जाना लगा रहता है जिससे कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित कब्रिस्तान की घेराबंदी कार्य कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

धाना का निर्माण

*389. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के झंझारपुर प्रखंड अंतर्गत कमला बलान नदी से पश्चिमी क्षेत्र में 10 ग्राम पंचायत सन्निहित है, जिसमें चार पंचायतों क्रमशः संतनगर, काको, कोठिया एवं मेंहथ भैरवस्थान धाना से पर्याप्त दूरी पर अवस्थित है तथा भौगोलिक दृष्टि से इन 4 पंचायतों की सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने में भैरवस्थान धाना को काफी कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त 10 पंचायत के लिए भैरवस्थान धाना एन०एच० 27 पर स्थित है तथा एन०एच० 527ए भी गुजरती है, जिसे इन दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों का सुरक्षा एवं दुर्घटना में संलिप्त रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार झंझारपुर कमला नदी से पश्चिमी क्षेत्र के लिए संतनगर अथवा काको में धाना का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*390. श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लु गुप्ता (क्षेत्र संख्या-11 सुगौली)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 307 अब नई धारा बीएनएस 109 हो गया है, मेडिकल रिपोर्ट आये बिना धानाध्यक्षों द्वारा अधिकांश मामले में इस धारा को FIR में लगा दिया जाता है, जिस कारण Accused Person को मानसिक तनाव के साथ आर्थिक दबाव को भी सहन करना पड़ता है ;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार मानवीय दृष्टिकोण से धारा 307 की समीक्षा कर अक्सर FIR में हो रहे इस धारा का दुरुपयोग को रोकने और धानाध्यक्षों को सही जाँच परख के बाद इसका प्रयोग करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

राजापट्टी थाना बनाने हेतु

*391. श्री मिथिलेश तिवारी (क्षेत्र संख्या-99 बैकुण्ठपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के बैकुण्ठपुर थाना अन्तर्गत 18 पंचायत आते हैं, जिसके कारण बैकुण्ठपुर थाना क्षेत्र की आबादी अत्यधिक हो जाती है, साथ ही थाना से अंतिम गाँव की दूरी लगभग 18 कि०मी० है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बैकुण्ठपुर थाना अन्तर्गत अधिक जनसंख्या घनत्व एवं दियारा क्षेत्र होने से पुलिस प्रशासन को अपराध नियंत्रण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गोपालगंज जिला अन्तर्गत बैकुण्ठपुर थाना क्षेत्र के जिला परिषद् क्षेत्र संख्या 32 के 8 पंचायतों क्रमशः प्यारेपुर, बखरी, जगदीशपुर, कालपुर, हमीपुर, फैजुलाहपुर, बंगरा और गम्हारी को पृथक कर राजापट्टी थाना बनाने का विचार का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

धाना का निर्माण

*392. श्री अखतरूल इमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत अमौर प्रखण्ड के चार पंचायत यथा झौआरी, अधांग, तिवरपारा एवं पोठियागंगेली जलालगढ़ प्रखंड के जलालगढ़ थाना के अधीन है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त चारों पंचायतों का थाना जलालगढ़ होने से ग्रामीणों को प्रशासनिक कार्यों में काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार एक अतिरिक्त थाना अमौर में अथवा चारों पंचायतों को अमौर थाना से संलग्न करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण कराना

*393. श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला के चकिया प्रखंड, मेहसौ प्रखंड, तेतरिया प्रखंड सहित पूरे जिला में मक्का का फसल बहुतायत में होता है लेकिन फूड प्रोसेसिंग के अभाव में किसानों को फसल का उचित कीमत नहीं मिल पाता है, यदि हाँ, तो सरकार पूर्वी चंपारण जिला के मेहसौ में मक्का प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ०पी० थाना स्थापित करना

*394. श्री बिजय सिंह (क्षेत्र संख्या-68 बरारी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के बरारी प्रखंड अंतर्गत बकिया सुखाय पंचायत के दियारा क्षेत्र में ओ०पी० थाना नहीं रहने के कारण किसान डरे सहमे रहते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार यहाँ ओ०पी० थाना स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*395. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में कब्रिस्तानों की घेराबंदी कार्य कराने हेतु वर्ष 2007 में सूची तैयार की गयी थी, जिसमें से रोहतास जिलान्तर्गत 182 कब्रिस्तानों की घेराबंदी कार्य करानी थी, यदि हाँ, तो सरकार घेराबंदी पूर्ण एवं घेराबंदी का कार्य कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कन्निरिस्तान की घेराबंदी

*396. श्री रणविजय साह (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

- (1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के शाहपुर पटोरी पंचायत अन्तर्गत वार्ड नं०-20 में गुलाब राय बबूना उच्च विद्यालय के निकट कन्निरिस्तान अवस्थित है;
- (2) क्या यह बात सही है कि उक्त कन्निरिस्तान की घेराबंदी नहीं रहने के कारण असामाजिक तत्वों एवं आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे जनता में असंतोष है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त कन्निरिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना का भवन निर्माण

*397. श्री श्याम रजक (क्षेत्र संख्या-188 फूलवारी अ०जा०)—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

- (1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पुनपुन प्रखंड के पंचायत कल्याणपुर के ग्राम पीपरा में पुलिस ओ०पी० है, जिसका अपना भवन नहीं होने के कारण यह बैटरी के गोदाम में चल रहा है, जबकि थाना के नाम पर अपना जमीन उपलब्ध है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि पुलिस ओ०पी० मेन रोड से काफी अंदर पड़ता है, जिससे पुलिस घटना स्थल पर ससमय नहीं पहुंच पाती है, जिससे आम नागरिक भय में रहते हैं ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पुलिस ओ०पी० के लिए उपलब्ध भूमि पर अपना भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योगदान करना

*398. श्री रजनीश कुमार (क्षेत्र संख्या-143 तेघड़ा) —क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

- (1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत गृह रक्षकों का चयन पूरा कर संबंधित अभ्यर्थियों के सभी प्रकार का दस्तावेज सत्यापन का कार्य पूर्ण करा लिया गया है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि 419 गृह रक्षकों के संपूर्ण वहाली प्रक्रिया पूरा होने के चार महीने बाद भी उनकी बुनियादी प्रशिक्षण की तिथि निर्धारित नहीं की गयी है, जिसके कारण उनका भविष्य अंध में लटका हुआ है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नवनियुक्त गृह रक्षकों का बुनियादी प्रशिक्षण पूरा कराकर योगदान कराने का विचार रखती है; हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*399. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के भवगछिया पुलिस जिलान्तर्गत बिहपुर थाना का भवन बिल्कुल ही जर्जर है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जर्जर भवन को तोड़कर कबतक नया भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी की स्थापना

*400. श्री शुभानंद मुकेश (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगांव के उतरवाहिनी गंगा तट पर कार्तिक पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा, गंगा दशहरा एवं अन्य पावन अवसरों पर न सिर्फ बिहार बल्कि झारखंड राज्य से भी श्रद्धालुओं की अपार भीड़ लगती है, जिसको देखते हुये सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम की आवश्यकता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये एक स्थायी पर्यटन पुलिस चौकी (Tourist Police Outpost) स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस ओ०पी० खोलना

*401. श्री देवेशकान्त सिंह (क्षेत्र संख्या-111 गोरेयाकोठी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सिवान जिला के गोरेयाकोठी प्रखंड अन्तर्गत जगदीशपुर बाजार से जी०बी० नगर थाना की दूरी 11 कि०मी० है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जी०बी० नगर थाना की दूरी 11 कि०मी० होने के कारण जगदीशपुर बाजार पर अपराधिक चारदात कर अपराधी भाग जा रहे हैं, जिससे वहाँ के व्यावासायियों एवं आमजनों में खतरा का माहौल बना रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जगदीशपुर बाजार चौक पर पुलिस ओ०पी० कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस पिकेट की स्थापना

*402. श्री रितुराज कुमार (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिलान्तर्गत घोसी विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान धाना क्षेत्रों का भौगोलिक विस्तार तथा जनसंख्या घनत्व एवं बाजार गतिविधियाँ अधिक होने के कारण पुलिस की त्वरित एवं प्रभावी पहुंच बाधित हो रही है, जिससे अपराध नियंत्रण एवं जन-सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और क्षेत्रीय आवश्यकता एवं सीमावर्ती स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये साहो बिगहा तथा मोदनगंज में नवीन पुलिस थानों की स्थापना करने की आवश्यकता है, हाँ, तो सरकार उक्त स्थानों पर नया पुलिस थाना की स्थापना कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*403. श्री गौतम कृष्ण (क्षेत्र संख्या-77 महिषी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला के महिषी प्रखंड अन्तर्गत भेलाही कब्रिस्तान का चहारदीवारी नहीं होने के कारण नागरिकों को परेशानी हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी/चहारदीवारी कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*404. मो० तौसीफ आलम (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज प्रखण्ड के महम्मदनगर के खरसैल की संवेदनशील कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रखंडों में फायर विंगड खोलना

*405. श्री सतीश कुमार सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के रामगढ़ नुआंव एवं दुर्गावती प्रखंडों

में फायर बिग्रेड की गाड़ी नहीं रहने के कारण आगजनी की घटना एवं किसानों के खेतों में आग लगने से काफी क्षति होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त तीनों प्रखंडों में फायर बिग्रेड खोलने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चीनी मिल का स्थापना

*406. श्रीमती अनीता (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा, नालंदा, गया, जमुई, रोखपुरा, जहानाबाद इत्यादि जिलों में गन्ना की खेती के लिये प्रयुक्त जमीन है, इन सभी जिलों के कृषक गन्ना उत्पादन कर वारिसलीगंज स्थित चीनी मिल को आपूर्ति करते थे, जो वर्तमान में बंद है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के प्रखंड वारिसलीगंज स्थित पैंगरी पंचायत के ग्राम पैंगरी के बबुरीवन में 35 एकड़ से अधिक बिहार सरकार की जमीन उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वारिसलीगंज स्थित पैंगरी के बबुरीवन की उक्त जमीन पर चीनी मिल स्थापित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी का निर्माण

*407. श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-75 सहरसा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत ककोलत जलप्रपात के पास कोई भी स्थायी पुलिस चौकी नहीं होने से पर्यटकों को हमेशा भय लगा रहता है तथा शाम हो जाने के बाद कई बार पर्यटकों के साथ हिंसक घटनाएँ भी होने लगती हैं, जिससे पर्यटक ककोलत आने से कतराते हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक ककोलत जलप्रपात के पास एक स्थायी पुलिस चौकी बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

एस०आई०टी० का गठन

*408. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के पिपरा थाना, केस नं० 96/22, दिनांक 26 मार्च, 2022 के नामजद 08 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभीतक नहीं हुयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के ज्ञापांक 10438, दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 समीक्षात्मक प्रतिवेदन-सह-प्रतिवेदन 02 में भी अनुसंधानकर्ता को निर्देशित किया गया है कि सभी प्राथमिकी अभियुक्तों को अविलम्ब गिरफ्तार करें एवं फरार रहने की स्थिति में कुर्की जप्ती की कार्रवाई की जाये लेकिन अभियुक्तों को ना ही गिरफ्तार किया गया और ना ही कुर्की-जप्ती की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो दोषी पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुये उक्त केस में फारार चल रहे अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी कराना

*409. मो० कमरूल होदा (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला अन्तर्गत प्रखंड पोठिया, मौजा-सोनापुर, खाता नं० 359, खेसरा नं० 161, ग्राम-मनीरामभीटा में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं होने से आवागमन का चरगाहा बना हुआ है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आवास का निर्माण

*410. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत मनिहारी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी का पद वर्षों पहले स्वीकृत है, लेकिन उनका निवास अबतक नहीं बनाया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, मनिहारी का आवास बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी स्थापित करना

*411. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत केवटी विधान सभा क्षेत्र के पंचायत मधोपट्टी स्टेट हाईवे 75 लंगड़ा मोड़ के पास आये दिन चोरी, छिना-झपटी एवं मर्डर जैसी घटना बढ़ जाने से लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है, जबकि कमतौर धाना की दूरी 15 कि०मी० एवं केवटी धाना की दूरी 20 कि०मी० होने के कारण लगातार इस तरह की चारदात को अंजाम असामाजिक तत्वों के द्वारा दिया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थानों के पास पुलिस चौकी स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कारखाना खोलने के संबंध में

*412. श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र संख्या-207 चेनारी (अ०जा०))--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के रोहतास प्रखंड अन्तर्गत ग्राम-अमझोर में स्थित पी०पी०सी०एल० कंपनी की 15 वर्ष पूर्व नीलामी की गयी थी, जिसमें कारखाना सहित भूमि सिंबोसिस फूड कॉरपोरेशन को आवंटित की गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त भूमि एवं कारखाना इस शर्त पर दिये गये थे कि सिंबोसिस फूड कॉरपोरेशन वहाँ उत्पादन इकाई (कारखाना) चालू करेगा लेकिन सिंबोसिस फूड कॉरपोरेशन ने आजतक उत्पादन इकाई शुरू नहीं किया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर उत्पादन इकाई (कारखाना) कबतक चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

एयरपोर्ट का निर्माण

*413. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, सिविल विमानन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय बिहार की औद्योगिक राजधानी है, जहाँ बरौनी रिफाइनरी, HURL, NTPC, पेप्सी प्लांट एवं सुधा डेयरी जैसे बड़े उद्योग स्थापित हैं तथा सिमरिया धाम जैसा राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तीर्थ स्थल है, जहाँ देश-विदेश से पर्यटक एवं व्यापारी आते हैं, राज्य के सघन औद्योगिक गतिविधियों और बढ़ी आबादी एवं राजस्व में सर्वाधिक योगदान देने के बावजूद भी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बेगूसराय में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कृषि आधारित उद्योग की स्थापना

*414. श्री आलोक कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-134 उजियारपुर)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला अन्तर्गत उजियारपुर विधान सभा क्षेत्र में सब्जी, फल, मसाला, अन्न आदि फसलों का अत्यधिक उत्पादन होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों के नहीं रहने से उस क्षेत्र के

फल, सब्जी मसाला, अन्न आदि का उत्पादन करने वाले किसानों को उत्पाद का सही मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उजियारपुर क्षेत्र के किसानों के हित में कोई कृषि आधारित उद्योग की स्थापना करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

इथेनॉल प्लांट का निर्माण

*415. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-05 लौरिया)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत अंचल प्रखंड योगापट्टी गन्ना उत्पादन में अग्रणी है, जबकि इथेनॉल प्लांट योगापट्टी में नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड में गन्ना की अत्यधिक उत्पादन के कारण इथेनॉल प्लांट के लिये पर्याप्त जमीन की उपलब्धता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार योगापट्टी प्रखंड के दियारा क्षेत्र में इथेनॉल प्लांट लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ट्रेनिंग संस्थान की स्थापना

*416. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के केसरिया विधान सभा क्षेत्र में जिला औद्योगिक रोजगार ट्रेनिंग संस्थान की स्थापना की माँग प्रश्नकर्ता द्वारा पिछले 5 वर्षों से की जा रही है, परंतु अभीतक औद्योगिक रोजगार ट्रेनिंग संस्थान की स्थापना नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक केसरिया में औद्योगिक रोजगार ट्रेनिंग संस्थान की स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कन्निरस्तान की घेराबंदी

*417. श्री मंदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला अन्तर्गत दुल्हनबाजार प्रखंड के भरतपुरा गांव स्थित खाता संख्या 510, खेसरा 375 पर अवस्थित कन्निरस्तान की घेराबंदी हेतु अंचल कार्यालय की अनुशंसा के बावजूद अभीतक घेराबंदी नहीं हुयी है, जिसके कारण वहां अतिक्रमण की समस्या आ रही है और आये दिन विवाद एवं तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार भरतपुरा गांव में स्थित कन्निरस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिथिगृह का निर्माण

*418. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत पिपरा एवं किशनपुर प्रखंड अवस्थित अतिथिगृह काफी छोटा है तथा मात्र दो कमरे हैं, जिसके कारण अतिथिगणों को उठरने में काफी कठिनाई होती है और उक्त दोनों प्रखंडों में सरकारी भूमि भी उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों प्रखंडों में एक एक अतिरिक्त अतिथिगृह भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :

दिनांक 09 फरवरी, 2026 (ई०)।

ख्याति सिंह,

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2026